

--:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 गुरपिन्द्र सिंह को राजस्व ग्राम 2 टी के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.239 हैक्टेयर, 0.037 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 2.074 हैक्टेयर का व वादी संख्या 2 अमरजीत कौर को राजस्व ग्राम 2 टी के मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 14 की 0.016 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, 0.037 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 2.077 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता तकसीम किए जाने के आदेश दिए जाते हे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{शयोसम (आर ए एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपस्थित अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

{सहायक कलक्टर एवं पदेन

सहायक कलक्टर उपस्थित अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरपिन्द्र सिंह आदि बनाम मेजर सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53, 88, 188 आरटीए

मुकदमा नम्बर 137/2025

निर्णय दिनांक :-30.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 1 गुरपिन्द्र सिंह को राजस्व ग्राम 2 टी के मुर्ब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 4 की 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 7 ता 13 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 14 की 0.239 हैक्टेयर, 0.037 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला भूमि कुल 2.074 हैक्टेयर का व वादी संख्या 2 अमरजीत कौर को राजस्व ग्राम 2 टी के मुर्ब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 14 की 0.016 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, 0.037 हैक्टेयर गैरमुमकिन खाला कुल 2.077 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता तकसीम किए जाने के आदेश दिए जाते हे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 30.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सहायक कलक्टर एवं पदेन

सहायक उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	1504	00	योग	02	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

दिनांक 30.06.2025

क्रमांक: रीडर/2025/454

प्रतिनिधि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{सहायक कलक्टर एवं पदेन

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)